2019/00379

फर्द अहकाम
नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पदमपुर

विकाश बनाम कालुराम उर्फ हंसराज आदि

किस्म मुकदमा – 152 सीपीसी प्रकरण सं0 19 सन 2019

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
03/12/19	प्रार्थी विकाश पुत्र कालुराम उर्फ हसंराज जाति जाट निवासी 49 एलएनपी की ओर से श्री नरेश जाखड़ अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्री मान न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2019 को निर्णय कर दिया गया है,लेकिन प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने नाम की भूमि चक 49 एलएनपी के खाता सं0 26/25 कि कुल भूमि 4.990 है0 में से मुरबा नं0 59 की किला नं0 16/2/0.013 है0 व 25/2/0.025 है0 कुल 0.038 है0 नहरी भूमि का बैचान लाधुराम को किया जा चुका था, लेकिन इन्तकाल बन्द होने के कारण जमाबन्दी में दर्ज नहीं हो सका था, अब उक्त रकबा का इन्तकाल जमाबन्दी में हो गया है, इसलिए वादी विकाश को प्राप्त भूमि मुरबा नं0 59 के किला नं0 16/2 में 0.013 है0 व किला नं0 25/2 में 0.025 है0 कुल 0.038 है0 नहरी भूमि को निर्णय व डिग्री से हटाया जावें। अतः न्यायहित में तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वादी को प्राप्त भूमि में से निर्णय दिनांक 25.11.2019 के चक 49 एलएनपी के खाता सं0 26/25 के मुरबा नं0 59 के किला नं0 16/2 में 0.013 है0 व किला नं0 25/2 में 0.025 है0 कुल 0.038 है0 नहरी भूमि को निर्णय व डिग्री से हटाया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (सुभाष कुमार) उपखण्ड अधिकारी (सुभाष कुमार) उपखण्ड अधिकारी पदमपुर (राज0)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 13:17:22 IST
Reason: SelfAttested